

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:- कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 10(4) गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक: 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक: 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रुल्स/2010 दिनांक: 25.04.12 तथा एफ. 6(6)एफडी/रुल्स/2010 दिनांक 30.05.2022 के अन्तर्गत विश्राम लाल गीना, व्याख्याता- जीव विज्ञान, राउमावि, रलावता बांदीकुई, दौसा को इनके आवेदन की दिनांक: 28.03.2023 से उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत जो अधिकतम रुपये 1200/- (अखरे रुपये बारह सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजिस्ट्रार/विकलांग भत्ता/2019-20

दिनांक : 23-7-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- 3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
- 4 संस्था प्रधान राउमावि, रलावता बांदीकुई, दौसा को उक्त कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5 संबंधित कार्मिक।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas

Designation : Joint Director Personnel

Date: 2023.07.23 14:41:46 IST

Reason: Approved